फा.सं. 34-725/2021-राजस्व
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT
****

श्री विजयपुरम, दिनांक 7 नवम्बर 2025

अधिसूचना

फा.सं. 34-725/2021, चूंकि दिनांक 23 जून, 2017 के अधिसूचना एस.ओ. संख्या 1997(ई) के अनुसार, माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह अगले आदेश तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के निकोबार जिला के अंतर्गत ग्रेट निकोबार, कैम्पबेल बे के गोविंद नगर गाँव में निम्नलिखित विवरण अनुसार निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन:स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत **"समुचित सरकार"** की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेंगे।

क्रम सं.	राज्य	जिला	स्थान/ गाँव	क्षेत्रफल हेक्टयर में
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार	गोविंद नगर	35.05
			कुल	35.05

और चूंकि, उक्त अधिग्रहण को राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य की सामरिक आवश्यकताओं के हित में न्यायोचित ठहराया गया है। अतः यह मामला भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन:स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के दायरे में आता है, जो सरकार को उन मामलों में तात्कालिकता खंड लागू करने का अधिकार प्रदान करता है जहाँ भारत की रक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भूमि आवश्यक है ।

और चूँकि, महत्वपूर्ण सैन्य अवसंरचना के निर्माण हेतु अधिग्रहित किए जाने वाला प्रस्तावित उपरोक्त क्षेत्र, भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि का विस्तार है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधान उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण पर लागू होते हैं।

और चूँकि, उक्त भूमि पर इस अवसंरचना का निर्माण राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सामरिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अब, इसलिए, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन:स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 40 की उप-धारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, एतदद्वारा निर्देश देते हैं कि:

(क) उक्त अधिनियम के अध्याय II और III तथा धारा 15 से 18 तक के प्रावधान इस अधिग्रहण पर लागू नहीं होंगे, और धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद किसी भी समय उक्त भूमि के संबंध में धारा 19 के तहत घोषणा की जा सकती है;

(ख) यद्यपि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, निकोबार जिला के उपायुक्त, धारा 21 के तहत नोटिस के प्रकाशन से 30 दिनों की समाप्ति पर, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक किसी भी भूमि पर कब्जा ले सकते हैं, और ऐसी भूमि उसके बाद सभी भारों से मुक्त होकर पूर्णतः सरकार में निहित हो जाएगी; और

(ग) उक्त भूमि के अर्जन के लिए कोई अतिरिक्त मुआवज़ा देय नहीं होगा।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर

सहायक सचिव (राजस्व))
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन